R —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/472

मुकदमा नम्बर 169/2024

दर्ज दिनांक– 18.10.2024

अब्दूल शकूर पत्र स्व. मकबूल काजी जाति काजी निवासी बाय, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
—अनावेदक

वकील आवेदक : -- स्वंय

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.10.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम गाडोदियां की ढाणी खाता सं. 87 में मुसलिया पुत्र नानूडा दर्ज हिस्सा 1/6 जाति फकीर की पृविष्ठी का अंकन दर्ज है। मुसलिया पुत्र नानूडा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक मुसलिया के वारिस अर्थात प्रार्थी अपने पिता का नाम मकबूल काजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। इसलिये वर्तमान जमाबन्दी में मुसलिया पुत्र नानूडा के स्थान पर मकबूल काजी पुत्र नानूसा उर्फ नानूडा दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा. पत्र के साथ पटवारी हल्का पुजारी की ढाणी, भू.अ.निरीक्षक परसरामपुरा तथा तहसीलदार नवलगढ की संयुक्त रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती की जानी उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गाडोदियां की ढाणी खाता सं. 87 में मुसलिया पुत्र नानूडा के स्थान पर मकबूल काजी पुत्र नानूसा उर्फ नानूडा दर्ज कर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

171

Scanned with CamScanner